न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या : 06 / 2017

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 गणाराम पुत्र मनाराम जाति मेघवाल निवासी बसन्त तहसील सुमेरपुर जिला पाली		1 राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार सुमेरपुर

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. लक्ष्मण के0 चौधरी, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. सरकारी पैरोकार, अप्रार्थी की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक 23.10.18

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा द्वारा राजस्व अपील संख्या 10 / 2016 में पारित निर्णय दिनांक 23.09.2016 को पुनर्विलोकित करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम बसन्त के खसरा नम्बर 838 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि पर प्रार्थी का अतिक्रमण बताते हुए पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश बेदखली पारित किया तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास की सज़ा से दण्डित किया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, किन्तु वहां से अपीलाण्ट को कोई राहत प्राप्त नहीं हुई। उक्त दोनों ही निर्णयों के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलाण्ट दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहता था, जो नहीं किये जा सके एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए ही न्यायालय हाजा द्वारा जैर पुनर्विलोकनाधीन निर्णय पारित किया, जो विधि विरूद्ध है। जैर अपील विवादित आराजी आबादी भूमि है, किन्तु मात्र राजस्व रेकर्ड में गलत प्रविष्ठि के कारण सरकारी खाते में दर्ज है। राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करने एवं अद्यतन करने की जिम्मेदारी रेस्पोडेन्ट की है। मात्र राजस्व रेकर्ड अद्यतन नहीं होने के कारण यह प्रकरण दायर किया गया है। उक्त भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपीलाण्ट की कब्जासुदा आबादी भूमि होने के कारण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण चलने योग्य नहीं था। इन तथ्यों को जैर पुनर्विलोकनाधीन आदेश में रेखांकित नहीं किया गया है एवं न ही अपीलाण्ट को उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया है, इस कारण जैर पुनर्विलोकनाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं न्यायालय हाजा द्वारा राजस्व अपील संख्या 10/2016 में पारित निर्णय दिनांक 23.09.2016 को पुनर्विलोकित करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि रिव्यू को स्कॉप अत्यन्त ही सीमित है। प्रार्थी द्वारा जिन दस्तावेजात् के आधार पर रिव्यू का अनुतोष चाहा है, पूर्व में अपील विचारण के दौरान उक्त दस्तावेज एवं तथ्यों को प्रस्तुत नहीं किये जाने का कोई कारण दर्शित नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में पारित निर्णय को अपास्त कराने हेतु रिव्यू का सहारा लिया गया है, जो अनुचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा जिन तथ्यों का सहारा लेते हुए यह पुनरीक्षण याचिका दायर की है, उन तथ्यो को अपीलाण्ट द्वारा पूर्व में नहीं उठाया गया है। जहां तक पुनर्विलोकन का प्रश्न है, तो अपीलाण्ट द्वारा इस प्रकार का कोई सन्तोषप्रद कारण भी दर्शित नहीं किया है, जो यह दर्शित कर सके कि अपीलाण्ट द्वारा पूर्व में इन तथ्यों को प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया ? माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन के सम्बन्ध में SEM CHAND vs RAMGOPAL AND ORS. में यह व्यवस्था प्रदान की है कि " The scope of review has only limited jurisdiction, circumscribed by definitive limits fixed by the language used in Order 41, Rule 1 CPC. According to the provisions of Order 47 CPC, review of a judgment is possible only on account of a mistake or error apparent on the face of record or on any specific reason. The petitioner has nowhere stated that some new and important material evidence has come to his knowledge, which was not within his knowledge or which could not have been produced at the time when the judgment was passed. He has nowhere mentioned that some mistake or error, apparent on the face of record, is there in the judgment dated 09.12.2016" जिन नवीन तथ्यों के सहारे प्रार्थी द्वारा पुनर्विलोकन का अनुतोष चाहा है, उन्हे मूल अपील में अपीलाण्ट द्वारा उठाया ही नहीं गया है, अब उन तथ्यों के सहारे प्रकरण की पुनः सुनवाई का अनुतोष चाहा है। इस सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा रिव्यू का जो Scope निर्धारित किया है एवं जो व्यवस्था प्रदान की है, वह इस प्रकार है – माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी/श्रीगंगानगर/24/2001 में दिनांक 10.07.2005 को निर्णय पारित करते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि " Rajasthan Land Revenue Act , 1956, Section 86 - Civil Procedure Code, 1908, Order 47, Rule 1 - Review filed - Against order of Single Bench - Held, scope of review is limited - Appreciation of evidence cannot be done by a Court of review - Review application shall lie on any grounds mentioned in Rule 1 Order 47, Civil Procedure Code and it is also provided in Sub-

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

clause (iii) of Section 86 of the Act - It was crystal clear that it would not be possible for Court to reopen the case in review - An error apparent on face of record should be an error which strikes one on mere looking at the record - There was no error apparent on record - Case was still alive in the Trial Court, which was the right forum for re-appreciating all the evidence which have been put forth by the applicant - Request for admission of the review petition rejected.

रिव्यू का जो दायरा तय किया गया है, उसे विस्तृत रूप से विवेचन निम्न न्यायिक सिद्धान्तों में इस प्रकार से किया है कि " Supreme Court in the case of ***Aribam Tuleshwar Sharma v. Aribarn Pishak Sharma, AIR 1979 SC 1047*** speaking through Chinappa Reddy, J. made following pertinent observations with regard to the powers of review of the High Courts and which would mutatis mutandis apply to this Court being a court of plenary jurisdiction :

"It is true there is nothing in Article 226 of the Constitution to preclude the High Court from exercising the power of review which inheres in every court of plenary jurisdiction to prevent miscarriage of justice or to correct grave and palpable errors committed by it. But, there are definitive limits to the exercise of the power of review. The power of review may be exercised on the discovery of new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence was not within the knowledge of the person seeking the review or could not be produced by him at the time when the order was made; it may be exercised where some mistake or error apparent on the face of the record is found; it may also be exercised on any analogous ground. But, it may not be exercised on the ground that the decision was erroneous on merits. That would be the province of a Court of Appeal. A power of review is not to be confused with appellate power which may enable an Appellate Court to correct all manner of errors committed by the Subordinate Court." इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि " The power of review of the Board of Revenue emanates from section 86 of the LR Act which is akin to Order 47, Rule 1 of the CPC and it is also provided in sub-clause III of Section 86 that an application for review under this Section shall lie on any of the grounds mentioned in Rule 1 of Order 47 of the first schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act V of 1908) and the provisions of the said order shall, subject to the provisions contained in sub-section 1 or Section 2 (sic?) be applicable. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए0आई0आर0 1995 (एस0सी0) पेज 455 Smt. Meera Bhanja v. Smt. Nirmala Kumari Choudhary में यह व्यवस्था प्रदान की है कि " an error would not become a patent error or error apparent by merely styling the reasoning adopted by an earlier bench as suffering from a patent error. The Supreme Court went on to say that "in substance, the review Bench has re-appreciated the entire evidence, sat almost as court of appeal and has reversed the findings reached by the earlier Division Bench. Even if the earlier Division Bench findings were found to be erroneous, it would be no ground for reviewing the same, as that would be the function of the appellate court."

प्रार्थी द्वारा प्रकरण हाजा में तथ्यों का पुनः परीक्षण करते हुए पुनः सुनवाई का अनुतोष चाहा है, जबकि पुनरीक्षण याचिका के तहत रेकर्ड के आमुख पर त्रुटी जाहिर नहीं होने की दशा में पुनः सुनवाई अनुज्ञेय नहीं है। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका पोषणीय नहीं पाई जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर मूल अपील के नत्थी की जावे।

आदेश आज दिनांक 23.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली